मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
(मंत्रालय)

क्रमांक 25 /18/97/पीडब्ल्यू./सी/चार, भोपाल, दिनांक 20 मई, 1997

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय :-- राज्य शासन के सेवानिवृत्त संविलियनितों को परिवार पेंशन योजना का लाभ देने बाबत् .

राज्य शासन, के ऐसे कर्मचारी शासन के निगमों उपक्रमों/स्वायताशासी संस्थाओं/मंडलों/निकायों आदि में संविलियनित हुए तथा उनको पेंशन का निर्धारण म. प्र. सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 34 के अन्तर्गत अपेन्डिक्स- II दर्शाये वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28-6-1973 एवं 18-5-76 में निहित निर्देशों के अनुसार किया गया . इन सेवानिवृत्त संविलयनितों के परिवार को परिवार पेंशन योजना का लाभ दिये जाने का मामला कुछ समय से शासन के विचाराधीन था.

2. समुचित विचारोपरान्त शासन ने यह निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त संविलियनितों को निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन परिवार पेंशन का लाभ दिया जाये :--

(अ) जिन सेवानिवृत्त संविलियनितों को संविलियन के समय शासन में 10 वर्ष से कम अर्हताकारी सेवा होने से सेवा उपदान (सर्विस ग्रेजुटी) प्राप्त की थी, उन्हें परिवार पेंशन की पात्रता नहीं होगी.

(ब) शासन के निगम/उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/मंडल/निगम आदि/पेंशन/परिवार पेंशन की योजना लागू है एवं संविलियनित कर्मचारी उपक्रम में सेवानिवृत्त होकर उपक्रम की पेंशन ले रहा है, तो उसको मृत्यु पर परिवार पेंशन उपक्रम के द्वारा ही मंजूर / स्वीकृत की जावेगी. उपक्रम में पेंशन/परिवार पेंशन योजना नहीं होने पर एवं पेंशन/परिवार पेंशन होते हुए सेवानिवृत्त संविलियनित उसकी पात्रता नहीं रखता हो, तो ऐसी स्थिति में शासन की परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. आशय यह है कि, परिवार पेंशन केवल एक ही स्रोत से मिलेगी.

(स) परिवार पेंशन का निर्धारण सेवानिवृत्त संविलियन के समय शासन में प्राप्त अंतिम उपलब्धियों पर किया जावेगा.

3. परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी :--

(अ) सेवानिवृत्त संविलियनित यदि जीवित है, अथवा मृतक संविलियनित का परिवार संलग्न निर्धारित प्रपत्र-एक में आवेदन (दो प्रति में) कार्यालय प्रमुख (जहां से संविलियन के समय पेंशन स्वीकृत हुई हो) को करेगा. इस संबंध में आवेदक के पास जो भी प्रमाणिक अभिलेख जैसे शासन के उपक्रम में संविलियन के आदेश की प्रति/महालेखाकार/मु/व.ले.अ(पें) संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से जारी अंतिम प्रतिवेदन/पेंशन गणन पत्रक/पी.पी.ओ. की प्रति आदि संलग्न करें.

(ब) कार्यालय प्रमुख ऐसे प्राप्त आवेदनों में दी गई जानकारी का परीक्षण करेगा एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से प्रमाणिकरण करने के प श्चात् संलग्न (परिशिष्ट-दो) में आवश्यक स्वीकृति जारी करेगा.

(स) कार्यालय प्रमुख आवेदन-पत्र (परिशिष्ट एक एवं दो) एवं वांछित प्रमाणिक अभिलेख परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के लिए संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन को भेजेगा.

4. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा प्राप्त प्रकरणों की छानबीन पश्चात् परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के संबंध में निम्नकार्यवाही की जावेगी :--

(अ) ऐसे सेवानिवृत्त संविलियनित जो अभी जीवित है एवं कोषालय से प्रतिमाह पेंशन ले रहे है, उनके परिवार पेंशन उसी पी. पी.ओ. क्रमांक पर प्राधिकृत की जावेगी, इसके लिए जिला कोषालय अधिकारी को संशोधन प्राधिकार-पत्र भेजा जावेगा, सिके साथ अभिप्रमाणित संयुक्त छायाचित्र भी संलग्न भेजे जावेगें.

(ब) ऐसे सेवानिवृत्त संविलियनित जो अभी जीवित हैं, परन्तु वे जिला कोषालय से नियमित पेंशन का लघुकरण (कम्युटेशन) कराकर एक मुश्त पूंजीकृत मूल्य प्राप्त कर लिया है, उनके पी. पी. ओ. आगे भुगतान नहीं होने से जिला कोषालय अधिकारी द्वारा महालेखाकार/विभागीय प्राधिकारी को वापस कर दिये गये होगें तथा ऐसे प्रकरणों में परिवार पेंशन का भुगतान भी सेवानिवृत्त संविलियनित की मृत्यु के अगले दिन से होगा. जिला कोषालय पर परिवार पेंशन के लिए क्या पी. पी. ओ. जारी किया जायं भुगतान करने के पहले यह शर्त पी. पी. ओ. पर अंकित की जाये कि सेवानिवृत्त संविलियनित का मत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त करले.

(स) ऐसे सेवानिवृत्त संविलियनित जिनकी मृत्यु इस आदेश के जारी होने के पूर्व हो चुकी है, उन्हें परिवार को परिवार पेंशन इस आदेश के प्रसारण की तिथि से देय होगी . जिला कोषालय पर नया पी.पी.ओ. परिवार पेंशनभोगी के नाम से जारी किया जावेगा.

(द) प्राधिकार पत्र जारी करने की सूचना कार्यालय प्रमुख एवं आवेदक को भी दी जावेगी.

5. म. प्र. सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम, 1976 के नियम -34 में संदर्भित अपेन्डिक्स- II में दर्शाये वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 28-6-1973 एवं दिनांक 18-5-1976 के क्रमश: पेरा-2 (डी) एवं 8 के वर्तमान प्रावधान एतद्द्वारा विलोपित किये जाते है. पेंशन मेंयथा स्थान संशोधन पृथक से जारी किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-
(राजन कटोच)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वित्त विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/बी 25/17/97/पीडब्ल्यूसी/चार

भोपाल, दिनांक 23 अप्रैल, 1997

प्रतिलिपि :--

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव/सैनिक सचिव, भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर.
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.

---

9. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, कार्यालय 110/18, शिवाजी नगर, भोपाल
10. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ, कार्यालय 85/16, तुलसी नगर, भोपाल

परिशिष्ट-एक

परिवार पेंशन के लिए आवेदन-पत्र (दो प्रतियों में)

प्रति,

. . . .

. . . .

(कार्यालय प्रमुख का नाम)

विषय :-- परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के संबंध में.

महोदय,

निवेदन है कि म. प्र. शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक . . . . दिनांक. . . . . अनुसार परिवार पेंशन प्राधिकृत करने के संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैं :--

(1)	सेवानिवृत्त /संविलियनित कर्मचारी का पूरा नाम	. . . .
(2)	शासन से सेवानिवृत्ति/संविलियन की तारीख	. . . .
(3)	शासन के उपक्रम का नाम जिसमें संविलियन हुआ	. . . .
(4)	शासन के उपक्रम से सेवानिवृत्ति (यदि हुआ तो) की तारीख.	. . . .
(5)	संविलियन /सेवानिवृत्ति के समय शासन में अंतिम उपब्धियां (प्रमाण सहित).	. . . .
(6)	पी. पी. ओ. क्रमांक	. . . .
(7)	पी.पी.ओ. किसने जारी किया	. . . .
(8)	शासन द्वारा स्वीकृत पेंशन प्राधिकृत हुई	. . . .
(9)	कोषालय का नाम जहां पेंशन प्राधिकृत हुई	. . . .
(10)	पेंशन प्रतिमाह प्राप्त कर रहे है अथवा संपूर्ण पेंशन की एक मुश्त राशि ली.	. . . .
(11)	यदि सेवानिवृत्ति/संविलियनित कर्मचारी की मृत्यु हो गई तो तारीख (प्रमाणपत्र संलग्न).	. . . .
(12)	परिवार पेंशन की जिसे पात्रता है उसका नाम	. . . .
(13)	यदि सेवानिवृत्ति/संविलियनित से उस पात्र व्यक्ति का संबंध.	. . . .
(14)	जिला कोषालय का नाम जहां से परिवौर पेंशन लेना चाहते है	. . . .

मैं सत्यनिष्ठा/शपथपूर्वक घोषणा करता हूं कि मेरा द्वारा ऊपर दी गई समस्त जानकारी मेरे पास उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित एवं सही है.

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता. . . . .

दूरभाष क्रमांक . . . .

टीप.-- संलग्न करें. अभिप्रमाणित छायाचित्रों की प्रतियां,नमूना हस्ताक्षर ,कद एवं पहचान उपलब्ध प्रमाणित अभिलेख आदि.

परिशिष्ट-दो

(कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाय)

(1)	सेवानिवृत्त /संविलियनित कर्मचारी का पूरा एवं पद	....
(2)	जन्म तिथि	....
(3)	शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति	....
(4)	सेवानिवृत्ति/संविलियन की तारीख	....
(5)	किस उपक्रम में संविलियन हुआ पूरा विवरण	....
(6)	संविलियन के समय शासन में अंतिम उपलब्धियां	....
(7)	सेवानिवृत्ति/संविलियन की तिथि पर स्वीकृत पेंशन	....
(8)	निर्धारित पेंशन ले रहे है अथवा एक मुश्त कम्युटेशन का का लाभ लिया	....
(9)	संविलियनत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख (यदि हुई हो तो) प्रमाण-पत्र सहित.	....
(10)	जिला कोषालय का नाम जहां से परिवार पेंशन लेना चाहते है.	....
(11)	परिवार पेंशनभोगी का नाम एवं संबंध तारीख (प्रमाणपत्र संलग्न)	....
(12)	परिवार पेंशन की राशि	....
(13)	उपक्रम में परिवार पेंशन की पात्रता है या नहीं (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	....
(14)	अन्य विवरण यदि हो तो	....

संलग्न :--

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
(सील)